संख्या-77/2019/1923/22-2-2019-17(238)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 14 जून, 2019***

विषय:- जिला कारागार, उन्नाव में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवबक्श पुत्र श्री मुक्ता, निवासी जनपद-उन्नाव की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-15066/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक दिनांक 20.05.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी शिवबक्श पुत्र श्री मुक्ता, जो उलरापुर, थाना-हसनगंज, जनपद-उन्नाव का रहने वाला है। पति सास ससुर तथा जेठ की प्रताड़ना के कारण दिनांक 19.09.2007 को सुषमा ने आग लगा कर आत्महत्या कर लिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-135/2008 में भा0द0वि0 की धारा-396 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-9, उन्नाव के आदेश दिनांक 12.07.2011 द्वारा 04 वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.09.2017 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 04.05.2018 द्वारा यथावत रखा गया। पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है। किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा बंदी के कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- इसी प्रकरण में रिट याचिका संख्या-7130(एम0बी0)/2019 शिवबक्श बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2019 के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी शिवबक्श (बन्दी संख्या-70/2018) पुत्र श्री मुक्ता, निवासी जनपद-उन्नाव की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-77/2019/1923(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, उन्नाव।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in